

द्वितीय अध्याय

वित्तीय प्रबंधन तथा बजटीय नियंत्रण

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक यह सुनिश्चित करने के लिए विनियोग की लेखापरीक्षा का निष्पादन करते हैं कि क्या बजट के अन्तर्गत विभिन्न अनुदानों के तहत वास्तविक व्यय उस वर्ष के लिए स्वीकृत विनियोग अधिनियम के तहत दिए गए प्राधिकरणों के अन्तर्गत भारित किया जाना चाहिए तब भारित किया गया है तथा इस प्रकार किया गया व्यय विधि संबंधित नियमों, अधिनियमों एवं अनुदेशों के अनुरूप है।

2.1 विनियोग लेखे का सारांश

वर्ष 2017–18 के दौरान 71 अनुदानों/विनियोगों के विरुद्ध वास्तविक व्यय का सारांश तालिका 2.1 में दर्शाया गया है।

तालिका 2.1 कुल बजट प्रावधानों की तुलना में वास्तविक व्यय की स्थिति का सारांश

₹ करोड़ में									
	व्यय की प्रकृति	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	कुल अनुदान/विनियोग	वास्तविक व्यय	बचत	समर्पण की राशि	31 मार्च को किए गए समर्पण की राशि	31 मार्च को किए गए समर्पण की राशि का बचत राशि से प्रतिशत
दर्तामत	I राजस्व	58,77 6.18	6,217.44	64,993.61	53,549.30	11,444.31	9,288.40	9,263.22	80.94
	II पूंजीगत	16,113.32	951.83	17,065.15	11,048.94	6,016.21	3,233.54	3,218.58	53.50
	III ऋण तथा अग्रिम	366.40	230.50	596.90	369.83	227.06	225.24	225.24	99.20
कुल दर्तामत		75,255.90	7,399.77	82,655.66	64,968.07	17,687.58	12,747.18	12,707.04	71.84
आपूर्ति	IV राजस्व	3,757.47	235.97	3,993.45	3,720.18	273.27	212.57	212.56	77.78
	V पूंजीगत	28.02	4.50	32.52	24.17	8.35	1.07	1.07	12.81
	VI लोक ऋण	1,917.38	0.00	1,917.38	999.88	917.50	917.50	917.50	100.00
कुल भारित		5,702.87	240.47	5,943.35	4,744.23	1,199.12	1,131.14	1,131.13	94.33
कुलयोग		80,958.77	7,640.24	88,599.01	69,712.30	18,886.71	13,878.32	13,838.17	73.27

(स्रोत: विनियोग लेखे 2017–18)

वित्तीय वर्ष के अंत में कुल बचत ₹ 18,886.71 करोड़ ¹ (कुल अनुदान/विनियोग का 21.32 प्रतिशत) रहा, जिसमें से बजट नियंत्रण अधिकारियों द्वारा ₹ 5,008.39 करोड़ (कुल बचत का 26.52 प्रतिशत) को कालातीत होने दिया गया। 31 मार्च 2018 को शेष बचत ₹ 13,878.32 करोड़ में से ₹ 13,838.17 करोड़ समर्पित किया गया, जिससे अन्य विकासात्मक उद्देश्यों के लिए इन निधियों के उपयोग का कोई संभावना नहीं रह गया। यह चिंता का एक गंभीर कारण है और प्रभावी बजटीय नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए वित्त विभाग की विफलता को इंगित करता है। सरकार मूल प्रावधान का उपयोग नहीं कर सकती थी, इसलिए, ₹ 7,640.24 करोड़ का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक था।

अनुशंसा: सभी पूर्वानुमानित बचत का समर्पण समय पर किया जाना चाहिए ताकि निधियों का उपयोग विकासात्मक उद्देश्यों के लिए किया जा सके।

¹ कुल बचत ₹ 18,889.32 करोड़ है और अतिरेक व्यय ₹ 2.61 करोड़ है, जिसके परिणाम स्वरूप वास्तविक बचत ₹ 18,886.71 करोड़ है।

2.2 वित्तीय जवाबदेही एवं बजट प्रबंधन

2.2.1 पिछले वर्षों (2000–01 से 2017–18) से संबंधित प्रावधानों में अतिरेक व्यय का नियमितीकरण की आवश्यकता है

भारत के संविधान के अनुच्छेद 205 के अनुसार राज्य सरकार को राज्य विधानमण्डल द्वारा अनुदान/विनियोग में अतिरेक व्यय को नियमित कराना अनिवार्य है।

वर्ष 2000–01 से 2016–17 के लिए प्रावधानों पर ₹ 3,257.55 करोड़ का अतिरिक्त व्यय अब भी (सितंबर 2017) नियमित नहीं किया गया है, जिसे परिशिष्ट 2.1 में दर्शाया गया है।

इसके अलावा, 2017–18 के दौरान भी हुए अतिरेक व्यय का नियमितीकरण किया जाना है जो कि तालिका 2.2 में दर्शाया गया है।

तालिका 2.2: वर्ष 2017–18 के दौरान प्रावधान से अधिक व्यय जिनका नियमितीकरण की आवश्यकता है

(₹ करोड़ में)						
सं. क्र.	मांग सं.	अनुदान का नाम	कुल मांग/ विनियोग	वास्तविक व्यय	अतिरेक राशि जिसका नियमितीकरण आवश्यक है	समर्पण राशि
राजस्व दत्तमत						
1	49	अनुसूचित जाति कल्याण	5.73	6.25	0.52	1.47
2	50	बीस सूत्रीय योजना क्रियान्वयन विभाग	2.00	2.74	0.74	0.50
राजस्व प्रभारित						
3	14	पशुपालन विभाग	@0.00	0.02	0.02	0.00
4	33	आदिवासी कल्याण	0.05	0.39	0.34	0.00
5	55	महिला एवं बाल विकास	*0.00	0.01	0.01	0.00
पूँजीगत/दत्तमत						
6	6	वित्त विभाग	0.10	1.08	0.98	0.00
योग			7.88	10.49	2.61	1.97

® प्रारंभ में ₹ 20,000 की टोकन राशि का प्रावधान किया गया था।

* प्रारंभ में ₹ 10,000 की टोकन राशि का प्रावधान किया गया था।

(स्रोत: विनियोग लेखे 2017–18)

अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति विभाग और नियोजन, आर्थिक और सांख्यिकीय विभाग द्वारा 31 मार्च 2018 को ₹ 2.61 करोड़ की अंतिम अधिकता के बावजूद, ₹ 1.97 करोड़ समर्पण किया गया, जो अवास्तविक और अनुचित था।

अनुशंसा: राज्य सरकार को अतिरिक्त व्यय के सभी मौजूदा मामलों को अति शीघ्र नियमित करने की आवश्यकता है और भविष्य में अत्यन्त एवं चरम आपात स्थिति के मामले, जिनका व्यय केवल आकस्मिक निधि से पूरा किया जा सके, को छोड़कर इस तरह के व्यय को पूरी तरह से रोका जाना चाहिए।

2.2.2 सतत अतिरेक व्यय

विगत तीन वर्षों में छह अनुदानों/विनियोगों के तहत 10 उप-शीर्षों में प्रावधान से अधिक सतत अतिरेक व्यय पाया गया। इन उप-शीर्षों/योजनाओं के तहत इस वर्ष किए गए अतिरिक्त व्यय तालिका 2.3 में दर्शाए गए हैं।

तालिका 2.3 सतत अतिरेक व्यय

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	मांग सं.	उप-शीर्षों के नाम	2015–16	2016–17	2017–18
1	03	2055-113-7494- छत्तीसगढ़ पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन	1.33	1.00	2.00
2	06	2235-60-200-7000-पेंशन कल्याण कोष की राशि की प्रतिपूर्ति	3.36	3.39	3.98
3	07	2030-02-102-2455- न्यायिकतर स्टांप की ब्रिकी पर व्यय	7.90	5.71	1.89
4		2030-01-101-4612- स्टाम्पों की लागत	4.11	3.64	2.13
5	13	2401-108-0701-7267- एन.एम.एस.ए. स्वार्डल हेत्थ मैनेजमेंट योजना	1.24	1.01	4.25
6	19	2071-01-800-5499- सेवा निवृत्त कर्मचारियों को चिकित्सा सुविधा	2.11	3.21	2.16
7		2210-03-198-0101-620- उप स्वास्थ्य केंद्र	4.75	22.95	15.05
8	41	2210-03-198-0102-2777-प्राथमिकी स्वास्थ्य केंद्र	1.77	3.08	4.76
9		2210-03-198-0102-620- उप स्वास्थ्य केंद्र	6.19	20.00	19.45
10	58	2245-01-101-2018-नगद दान	171.42	7.81	4.88
		योग			

(स्रोत: 2015–16 से 2017–18 तक के विनियोग लेखे)

अनुशंसा: वित्त विभाग को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कोई भी बजट नियंत्रण अधिकारी राज्य विधानसभा द्वारा अनुमोदित नियमित आवंटन से अतिरिक्त व्यय न करे तथा इसके लिये जो जिम्मेदार हैं उनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही करनी चाहिए।

2.2.3 योजनाओं के तहत अतिरेक व्यय

कुल 33 प्रकरणों में विभिन्न उपशीर्षों के अन्तर्गत ₹ 1,110.16 करोड़ का व्यय हुआ जो प्रत्येक प्रकरण में स्वीकृत प्रावधान से ₹ 10 करोड़ या उससे अधिक है जिसका विवरण परिशिष्ट 2.2 में दर्शाया गया है।

2.2.4 बचत

पिछले पांच वर्षों के दौरान सरकार अपने मूल बजट प्रावधान का उपयोग नहीं कर सकी और प्रत्येक वर्ष कई अनुपूरक प्रावधानों का सहारा लिया जिसके परिणामस्वरूप प्रत्येक वर्ष भारी मात्रा में बचत हुई। इसी अवधि के दौरान समग्र बचत 19.95 प्रतिशत से 26.88 प्रतिशत के बीच रही, जबकि मूल प्रावधान से बचत 13.04 प्रतिशत से 19.53 प्रतिशत के बीच तालिका 2.4 में दर्शाए गए हैं। यह इंगित करता है कि सरकार द्वारा किए गए बजट प्रावधान अतिरंजित थे और अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक थे।

तालिका 2.4: पिछले पाँच वर्षों के दौरान छत्तीसगढ़ के समग्र बजट की बचत

वर्ष	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	कुल	वास्तविक व्यय	कुल बचत	कुल बचत प्रतिशत	मूल प्रावधान से बचत	मूल प्रावधान से बचत की प्रतिशत
2013-14	46,097.75	3,981.77	50,079.52	40,086.72	9,992.80	19.95	6,011.03	13.04
2014-15	57,149.83	3,052.58	60,202.41	48,187.92	12,014.49	19.96	8,961.91	15.68
2015-16	67,545.90	6,793.63	74,339.53	54,353.86	19,985.67	26.88	13,192.04	19.53
2016-17	73,996.33	6,205.99	80,202.32	60,470.82	19,731.50	24.60	13,525.51	18.28
2017-18	80,958.77	7,640.24	88,599.01	69,712.30	18,886.71	21.32	11,246.47	13.89

2.2.4.1 अनुदान और विनियोग के तहत बचत

कुल ₹ 18,886.71 करोड़ की कुल बचत में से ₹ 17,075.65 करोड़ की बचत 39 अनुदान और दो विनियोग के तहत हुई, जिसमें हरेक अनुदान/विनियोग में कुल ₹ 100 करोड़ राशि से अधिक की बचत हुई जो कि वर्ष के दौरान कुल बचत का 90.41 प्रतिशत है। यह **परिशिष्ट 2.3** में विस्तृत है। उनमें से सात अनुदानों और एक विनियोग के तहत बचत ₹ 500 करोड़ से अधिक थी।

2.2.4.2 योजनाओं के तहत बचत

विनियोग लेखापरीक्षा से पता चला कि 18 अनुदानों/विनियोगों से संबंधित 36 मामलों में ₹ 8,684.22 करोड़ की बचत हुई थी और प्रत्येक मामले में ₹ 100 करोड़ से अधिक बचत हुई जो कि कुल प्रावधानों के 10 प्रतिशत से भी अधिक था। यह **परिशिष्ट 2.4** में में दर्शाया गया है।

वर्ष 2017–18 के दौरान कुल 1,613 संचालित उपशीर्षों में ₹ 100 करोड़ से अधिक की बचत 47 योजनाओं में देखी गई, जिनका विवरण **परिशिष्ट 2.5** में दिखाया गया है। इन 47 योजनाओं के तहत कुल ₹ 40,438.15 करोड़ की राशि का बजट रखा गया था, लेकिन केवल ₹ 28,467.68 करोड़ खर्च किए गए, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 11,970.47 करोड़ की बचत हुई, जो समग्र बचत का 63.38 प्रतिशत है।

अनुशंसा: राज्य सरकार को वास्तविक जरूरत के अनुसार बजट तैयार करना चाहिए और उसका अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करना चाहिए।

2.2.5 अनुदानों के अंतर्गत सतत बचत

वर्ष 2013–14 से 2017–18 की अवधि के दौरान 24 अनुदानों के तहत 29 प्रकरणों में ₹ 20 करोड़ से अधिक की लगातार बचत और प्रत्येक मामले में बजट प्रावधान का 10 प्रतिशत से अधिक था जैसा कि **परिशिष्ट 2.6** में दिखाया गया है। अनुदानों का बचत कुल बजट का 10.15 और 89.66 प्रतिशत के बीच थी जो इंगित करती है कि बजट यथार्थवादी नहीं था। चार मामलों में प्रत्येक प्रावधान में 30 प्रतिशत से अधिक की लगातार बचत हुई।

यह पहले की राज्य वित्त रिपोर्ट में बताया गया था, लेकिन समस्या अभी भी बनी हुई है।

अनुशंसा: वित्त विभाग को मासिक व्यय की ज्यादा कारगर समीक्षा करनी चाहिए ताकि सभी अनुमानित बचत का समर्पण समय पर हो।

2.2.6 उप शीर्षों के तहत समग्र बजट प्रावधान का उपयोग ही नहीं किया गया

कुल 23 अनुदानों और दो विनियोगों के अंतर्गत 53 प्रकरणों में विभिन्न उपशीर्षों के लिए किए गए ₹ 10 करोड़ या उससे अधिक के समग्र प्रावधान ₹ 2,576.02 करोड़ का कोई भी उपयोग नहीं हुआ। विस्तृत विवरण परिशिष्ट 2.7 में दिया गया है।

2.2.7 अनुदानों/विनियोगों के अंतर्गत अनुपूरक प्रावधान

अ) अनावश्यक अनुपूरक प्रावधान

कुल 35 अनुदानों के अंतर्गत 53 प्रकरणों में, वर्ष में एक करोड़ या उससे अधिक अनुपूरक प्रावधान का योग ₹ 3,487.80 करोड़ था जो अनावश्यक साबित हुआ, क्योंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था। विस्तृत विवरण परिशिष्ट 2.8 में दर्शाया गया है।

ब) अतिरेक अनुपूरक प्रावधान

नौ अनुदानों और एक विनियोग में ₹ 1,700.81 करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकता के विरुद्ध, ₹ 3,944.15 करोड़ का अनुपूरक प्रावधान अत्यधिक साबित हुआ। प्रत्येक प्रकरण में ₹ एक करोड़ या उससे अधिक की अतिरेक परिणामी बचत ₹ 2,243.34 करोड़ को परिशिष्ट 2.9 में दर्शाया गया है।

अनुशंसा: राज्य सरकार को वास्तविक आवश्यकता के अनुसार अनुपूरक बजट तैयार करना चाहिए ताकि अनुपूरक प्रावधान अधिक यथार्थवादी हो।

2.2.8 उप शीर्षों/योजनाओं के अन्तर्गत अनुपूरक प्रावधान

अ) अनावश्यक अनुपूरक प्रावधान

वर्ष के दौरान 18 अनुदानों के अंतर्गत 42 प्रकरणों में प्राप्त ₹ 772.31 करोड़ के प्रत्येक प्रकरण में ₹ एक करोड़ या उससे अधिक के अनुपूरक प्रावधान पूरी तरह से अनावश्यक सिद्ध हुए क्योंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था। विस्तृत विवरण परिशिष्ट 2.10 में दर्शाया गया है।

ब) अतिरेक अनुपूरक प्रावधान

कुल 23 अनुदानों के अंतर्गत 44 प्रकरणों में ₹ 3,877.46 करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकता के विरुद्ध ₹ 4859.31 करोड़ के अनुपूरक प्रावधान अतिरेक सिद्ध हुए। प्रत्येक प्रकरण में परिणामी बचत ₹ एक करोड़ या उससे अधिक का कुल योग ₹ 982.45 करोड़ है जिसे परिशिष्ट 2.11 में दर्शाया गया है।

स) अपर्याप्त अनुपूरक प्रावधान

कुल 7 अनुदानों के अंतर्गत 9 प्रकरणों में ₹ 580.05 करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकता के विरुद्ध ₹ 209.38 करोड़ के अनुपूरक प्रावधान अपर्याप्त सिद्ध हुए। प्रत्येक प्रकरण में ₹ एक करोड़ या उससे अधिक की परिणामी कमी का कुल योग ₹ 370.67 करोड़ है जिसे परिशिष्ट 2.12 में दर्शाया गया है।

2.2.9 निधियों का अतिरेक / अनावश्यक / अपर्याप्त पुनर्विनियोजन

परिशिष्ट 2.13 में विस्तृत 11 अनुदानों के तहत 23 उपशीर्षों/योजनाओं में पुनर्विनियोजन के बाद ₹ 10 करोड़ से अधिक की अतिरेक/बचत थी। यह इंगित करता है कि अनुमानों का उचित मूल्यांकन नहीं किया गया था, क्योंकि पुनर्विनियोजन के माध्यम से धन निकालने/जमा करने के बाद भी, अनुदानों में अंतिम बचत/अतिरेक थे।

2.2.10 वास्तविक बचत से अधिक समर्पण

कुल 18 प्रकरणों में (प्रत्येक प्रकरण में ₹ 50 लाख या अधिक) वास्तविक बचत से अधिक राशियों का समर्पण इन विभागों में अपर्याप्त बजटीय नियंत्रण को दर्शाता है। कुल बचत ₹ 2,478.11 करोड़ के विरुद्ध ₹ 2,661.81 करोड़ समर्पित किया गया जिसके फलस्वरूप ₹ 183.70 करोड़ का अधिक समर्पण हुआ। विस्तृत विवरण **परिशिष्ट 2.14** में दिया गया है।

अनुशंसा: बजट नियंत्रण अधिकारियों को धन के समर्पण के पूर्व उनके साथ उपलब्ध शेष राशि का आंकलन करना चाहिए।

2.2.11 पूर्वानुमानित बचत का समर्पण नहीं किया जाना

पाँच अनुदानों और तीन विनियोगों के तहत 10 प्रकरणों के प्रत्येक प्रकरण में ₹ एक करोड़ से अधिक का बचत हुआ परंतु सम्बंधित विभाग द्वारा उसका कोई भी भाग समर्पित नहीं किया गया। इन प्रकरणों में ₹ 2664.22 करोड़ की राशि शामिल थी जो कुल बचत ₹ 18,886.71 करोड़ का 14.11 प्रतिशत है, जिसे **परिशिष्ट 2.15** में दर्शाया गया है।

इसी प्रकार, 20 अनुदानों एवं 1 विनियोग (समर्पण के बाद प्रत्येक प्रकरण में ₹ एक करोड़ या उससे अधिक की बचत) के तहत 27 प्रकरणों में ₹ 6,678.76 की बचत में से ₹ 2,569.32 करोड़ की प्रावधानित राशि (उपरोक्त बचतों का 38.47 प्रतिशत) का समर्पण नहीं किया गया जिसे **परिशिष्ट 2.16** में दर्शाया गया है।

अनुशंसा: सभी पूर्वानुमानित बचत का समर्पण समय पर किया जाना चाहिए ताकि निधियों का उपयोग अन्य विकासात्मक उद्देश्यों के लिए किया जा सके।

2.2.12 व्यय का अतिवेग

मध्यप्रदेश बजट नियमावली (छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अनुसरित) की कण्डिका 92 के अनुसार, विशेषकर वित्तीय वर्ष के अंतिम माह में व्यय की अतिवेग से बचना चाहिए। इसके विपरीत 31 मुख्य शीर्षों में 2017–18 की अंतिम तिमाही के दौरान ₹ 3,020.05 करोड़ का व्यय हुआ, जो कि इन शीर्षों के तहत कुल व्यय ₹ 4,574.82 करोड़ का 66.01 प्रतिशत है जिसे **परिशिष्ट 2.17** में दर्शाया गया है। इसका कुल व्यय ₹ 1,951.48 करोड़ (42.66 प्रतिशत) वर्ष 2018 के मार्च माह में हुआ।

वित्तीय वर्ष के अंतिम माह में व्यय का अतिवेग सार्वजनिक धन के दुरुपयोग एवं अस्वास्थ्यकर प्रथाओं के जोखिम को बढ़ाता है। वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही में व्यय का अतिवेग समझदार वित्तीय प्रबंधन नहीं है और बजट मैनुअल के प्रावधान के विरुद्ध है।

अनुशंसा: वित्त विभाग को वित्तीय वर्ष के अंत के दौरान व्यय के अतिवेग को नियंत्रित करना चाहिए।

2.2.13 विनियोग लेखे में भिन्नताओं के कारण प्रदान नहीं किए गए

वित्तीय वर्ष 2017–18 के दौरान ₹ 88,599.01 करोड़ की कुल अनुदान या विनियोग राशि और ₹ 69,712.30 करोड़ के व्यय के बीच ₹ 18,886.71 करोड़ का महत्वपूर्ण अन्तर है। ₹ 18,886.70 करोड़ की कुल बचत में से, 64 अनुदान (40 राजस्व और 24 पूँजीगत) और सात विनियोजन (पाँच राजस्व और दो पूँजीगत) के तहत ₹ 3,191.61 करोड़ की बचत के कारणों को विनियोग खातों में उचित रूप से नहीं बताया गया है।

अनुशंसा: बजट नियंत्रण अधिकारियों को बजट प्रावधान और व्यय के बीच भिन्नता के कारणों की जांच करनी चाहिए और बचत के आत्मसमर्पण के समय उसे प्रस्तुत करना चाहिए।

2.3 आकस्मिकता निधि से अग्रिम

छत्तीसगढ़ के आकस्मिकता निधि नियमावली 2001 के अनुसार अप्रत्याशित व्यय को पूरा करने के उद्देश्य को छोड़कर, आकस्मिकता निधि से कोई भी अग्रिम नहीं लिया जाएगा।

वर्ष 2017–18 के दौरान, ₹ 13.74 करोड़ की राशि के नौ मामलों में से आठ में, व्यय आकस्मिकता निधि से आहरण के मानदंडों को पूरा नहीं करता था क्योंकि ये व्यय अप्रत्याशित या आकस्मिक चरित्र के नहीं थे। इस प्रकार, आकस्मिकता निधि से प्राप्त अग्रिम उद्देश्य अधिनियम का उल्लंघन था। विवरण तालिका 2.5 में दिखाया गया है। हालांकि, 2017–18 के दौरान फंड से कुल निकासी अनुपूरक बजट के माध्यम से की गई थी।

तालिका 2.5: राज्य के आकस्मिकता निधि से व्यय

(₹ करोड़ में)					
स. क्र.	विभाग	व्यय की प्राकृति जिसके लिए आकस्मिकता निधि से अग्रिम आहरण किया गया है	अग्रिम राशि	आहरण माह	
1	आवास और पर्यावरण	उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार धनि माप उपकरणों की 24 संख्या का वितरण	4.78	फरवरी 2018	
2	घर (जनगणना)	राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर अपडेशन कार्य के तहत डाटा एंट्री कार्य	4.20	जुलाई 2017 अगस्त 2017 सितंबर 2017 फरवरी 2018	
3	होम (पुलिस)	बुलेट प्रूफ वाहन की खरीद (स्कॉर्पियो)	1.47	मार्च 2018	
4	एसटी और एससी डेवलप-मेंट	गिररौदपुरी धाम में समेकित विकास योजना के तहत बहुउद्देशीय सामुदायिक भवन का निर्माण	0.50	मार्च 2018	
5	सामान्य प्रशासन	छत्तीसगढ़ राज्य निर्बाचन आयुक्त के लिए नए वाहन की खरीद	0.12	जनवरी 2018	
6	पर्यटन	अटल नगर, इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट के भवन का निर्माण और रखरखाव	1.52	जुलाई 2017	
7	सामाजिक कल्याण	सीजी योग आयोग का निर्माण (75 लाख) और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस संगठन (25 लाख)	1.00	जून 2017	
8	सामाजिक कल्याण	निशक्तजन कार्यालय का सशक्तिकरण	0.15	नवंबर 2017	
कुल					13.74

- आवास और पर्यावरण विभाग के मामले में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा 5 दिसंबर 2016 को निर्णय पारित किया गया था और आकस्मिक निधि से आहरण हेतु 9 अक्टूबर 2017 को स्वीकृत की गई थी जो फरवरी 2018 के महीने में आहरित की गई थी। अतः इस राशि का प्रावधान भुगतान से पहले किया जा सकता था और इस राशि को आकस्मिक निधि से आहरण करने की आवश्यकता नहीं थी।

वर्ष 2017–18 का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (राज्य वित्त)

- गृह विभाग (जनगणना) के मामले में आठ महीनों की अवधि में चार अलग—अलग महीनों में राशि निकाली गई थी। इसलिए पहले अनुपूरक बजट में राशि का प्रावधान किया जा सकता था।

पिछले तीन वर्षों के दौरान, यह देखा गया कि प्राकृतिक आपदा के खर्च को पूरा करने के लिए कोई अग्रिम राशि नहीं लिया गया था।

अनुशंसा: राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आकस्मिक और अप्रत्याशित प्रकृति के खर्च को छोड़कर आकस्मिकता निधि से कोई अग्रिम नहीं लिया जाए।

2.3 अनुदान संख्या 71 – इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के लिए बजटीय प्रक्रिया

परिचय

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग का मुख्य उद्देश्य राज्य में सूचना प्रौद्योगिकी के बुनियादी ढांचे की स्थापना और विकास करना था। विभाग छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स) के माध्यम से राज्य में ई—गवर्नेंस और अन्य परियोजनाओं को लागू करता है। धन को विभाग द्वारा राजकोष से निकाला जाता है और कार्यान्वयन के लिए चिप्स को सौंप दिया जाता है।

अनुदान संख्या 71 – इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के बजटीय प्रक्रिया की समीक्षा ने खुलासा किया कि ₹ 203.53 करोड़ के कुल बजट प्रावधान के विरुद्ध विभाग ने ₹ 62.66 करोड़ का व्यय किया है, जिससे ₹ 140.87 करोड़ की कुल बचत हुई जो कि कुल बजट प्रावधान का 69.21 प्रतिशत है। विवरण तालिका 2.6 में दिए गए हैं।

तालिका 2.6: 2017–18 के दौरान बजटीय प्रावधान और व्यय

विवरण	पूंजीगत	राजस्व	(₹ करोड़ में) कुल
मूल अनुदान	100.00	100.74	200.74
अनुपूरक अनुदान	0.00	2.79	2.79
कुल अनुदान	100.00	103.53	203.53
व्यय	0.89	61.77	62.66
ब्यत	99.11	41.76	140.87
समर्पण (पुनः विनियोग)	99.11	36.93	136.04
कालातीत	0.00	4.83	4.83

संगठनात्मक संरचना

प्रमुख सचिव/सचिव, ई एंड आईटी विभाग के बजट नियंत्रण अधिकारी हैं और विशेष सचिव सचिव आहरण एवं संवितरण अधिकारी हैं। विभाग चिप्स के माध्यम से सभी परियोजनाओं को लागू करता है।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष

2.4.1 संचार क्रांति योजना पर व्यय का गलत वर्गीकरण

संचार क्रांति योजना (जून 2017 में शुरू किया गया) छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा राज्य में मोबाइल पैथ को बेहतर बनाने के उद्देश्य से की गई एक पहल है। योजना यांत्रिकी के अनुसार सरकार को भारतीय निर्माता से फोन खरीदने या छत्तीसगढ़ में उत्पादन को

प्रोत्साहित करने और इसे चयनित क्षेत्र में पीडीएस कार्ड वाले सभी ग्रामीण परिवारों को पीडीएस के माध्यम से वितरित करना था।

उपरोक्त के मद्देनजर, परियोजना पर किए गए व्यय को पूँजीगत व्यय के रूप में वर्गीकृत करना गलत है। इसलिए, वर्ष 2017–18 के दौरान, अनुदान संख्या 41, 64 और 71 के अंतर्गत ₹ 200 करोड़ का बजट प्रावधान और अनुदान राशि के तहत ₹ 1.78 करोड़ का व्यय गलत वर्गीकरण है।

उपरोक्त तथ्य इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी विभाग और चिप्स को इंगित किया गया था। उत्तर अपेक्षित है।

अनुशंसा: राज्य सरकार को संबंधित राजस्व शीर्ष में व्यय को बुक करना चाहिए।

2.4.2 बजट अनुमान एकमुश्त हैं

मध्य प्रदेश बजट नियमावली के पैराग्राफ 31 के अनुसार, बजट अनुमानों में एकमुश्त प्रावधान नहीं किया जाना चाहिए।

बजटीय प्रक्रिया की समीक्षा के दौरान यह देखा गया कि राज्य के बजट के अनुसार वार्षिक आधार पर किए जाने वाले व्यय की विस्तृत योजना न तो विभाग की फाइलों में दर्ज की गई और न ही कार्यान्वयन एजेंसी, चिप्स की फाइलों में दर्ज की गई। अनुसूचित जातियों (एससीपी) और जनजातीय क्षेत्र उप योजना (टीएसपी) के लिए विशेष घटक योजना के लिए बजट प्रावधानों का विभाजन फाइलों पर दर्ज नहीं किया गया था। बचत/अनुमान का औचित्य फाइलों में दर्ज नहीं किया गया था। उपरोक्त तथ्य बताते हैं कि बजट का अनुमान एकमुश्त आधार पर किया गया था न कि वास्तविक जरूरत के अनुसार।

उपरोक्त तथ्य इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी विभाग और चिप्स को इंगित किया गया था। उत्तर की प्रतीक्षा है।

अनुशंसा: वर्ष के लिए योजना के विस्तृत अनुमान के अनुसार बजट तैयार किया जाना चाहिए।

2.4.3 वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन समर्पण

मध्यप्रदेश बजट नियमावली के पैराग्राफ 131 के अनुसार, व्यय में प्रत्याशित बचत के विवरण 15 जनवरी तक बजट नियंत्रक अधिकारियों को वित्त विभाग को प्रस्तुत करने होंगे।

वर्ष 2017–18 के दौरान, मैनुअल में प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए 31 मार्च 2018 को ₹ 136.04 करोड़ की राशि समर्पण कर दी गई और अन्य विकासात्मक उद्देश्यों पर धन के उपयोग के लिए कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी गई।

उपरोक्त तथ्य इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी विभाग और चिप्स को इंगित किया गया था। उत्तर अपेक्षित है।

अनुशंसा: प्रत्याशित बचत को वर्ष के समाप्ति से पहले अच्छी तरह से आत्मसमर्पण किया जाना चाहिए ताकि उनका उपयोग अन्य विकासात्मक उद्देश्यों में किया जा सके।